नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार

नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला
७

CCD
Centre for Constitutional Dialogue
संवैधानिक संवाद केन्द्र

भोजपुरी

नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजना- युएनडीपी

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र

पहला संस्करण : २०६५ साल

प्रतिलिपि अधिकार ©संवैधानिक संवाद केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित ह । सामाग्री कें स्रोत के रुप में संवैधानिक संवाद केन्द्र के प्रति साभार व्यक्त कके गैरव्यवसायिक प्रयोजन खातिर ई पुस्तिका के अंश के पुनःप्रकाशन आ/वा अनुवाद के एगो प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्र के उपलब्ध करावें के पडी ।

साज सज्जा आ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौ ।

ज्यादा जानकारी खातिर वा ई पुस्तिका खातिर नीचे दिहल पता में सम्पर्क कइल जाय ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र

तीसरा आ चौथा तला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, बुद्धनगर, काठमाडौ ।

टेलिफोन नं ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८

ई-मेल : info@ccd.org.np

वेबसाइट : www.ccd.org.np

नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार

७

नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार १
व्यक्तिगत अधिकार का ह ? १
नेपाल व्यक्तिगत अधिकार के के तरे लेहले बा ? २
अल्पसंख्यक के अधिकार के विषय में विशेष बात का ह ? ३
नेपाल में केकरा संरक्षण चाहीं ? ४
अल्पसंख्यक के अधिकार के सम्बन्ध में संविधान सभा का लगे रहल विकल्प सब का-का बा ? ६
मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा में पहचान भइल व्यक्तिगत अधिकार सब कथी-कथी बा ? ७

नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार

नेपाली जनता आपन नया संविधान बना रहल बा । ऊ लोग संविधान सभा में रहल आपन प्रतिनिधियन से संविधान के जरिए अल्पसंख्यक के अधिकारन के संरक्षण भइल आ शदियन से होत आइल भेदभाव खतम कइल सुनिश्चित भइल देखेके चाहता ।

ई महत्वपूर्ण काम करे खातिर संविधान सभा के नीचा लिखल पाँच गो बात पर ध्यान देवेके चाहीं :

(१) व्यक्तिगत अधिकार का ह ?
(२) व्यक्तिगत अधिकार के सम्बन्ध में नेपाल के संविधान अभीन का कहत बाटे ?
(३) अल्पसंख्यक के अधिकार के सम्बन्ध में विशेष बात का ह ?
(४) नेपाल में केकरा संरक्षण चाहीं ?
(५) अल्पसंख्यक के अधिकार के सम्बन्ध में संविधान सभा का लगे रहल विकल्प सब का-का बा ?
(६) मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा में पहचान भइल व्यक्तिगत अधिकार सब कथी-कथी बा ?

(१) व्यक्तिगत अधिकार का ह ?

अधिकार के विषय में रहल धारणा स्वचालित (Automatic) बा । ई अइसन बात ह, जेकरा खातिर रउरा लड़के जरूरत नइखे । ई राउर बा आ रउरा से छिनल ना जा सकेला ।

व्यक्तिगत अधिकार सब रउआ खातिर बा काहेकि रउआ मानव हईं । उदाहरण खातिर हरेक मनई के दास ना बनेके, यातना ना पावेके, सम्पत्ति राख सकेके, बिआह के, परिवार के आ शिक्षा के अधिकार होला । एह अधिकारन के पावे खातिर कौनो निश्चित समूह के अंग बनल जरूरी नइखे । ई सभेकेहु के प्राप्त बा ।

व्यक्तिगत अधिकार सब मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा में परिभाषित बा । दोसरका विश्वयुद्ध के क्रम में एशिया समेते समस्त विश्व के त्रासदीपूर्ण दुःखद अनुभव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एकर पहिल काम के रूप में ई महत्वपूर्ण घोषणा ग्रहण कइल गइल रहे ।

मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा एकरा द्वारा पहचानल अधिकार सब प्रत्येक व्यक्ति खातिर होखेके चाहीं कहेला । ई व्यक्तिगत अधिकार सब अपने लोग से छिना नइखे सकत भा जात,

वर्ण, लिंग भा भाषा के के कारण अपने के देवे से इनकार ना कइल जा सकेला । रउआ कौन धर्म मानेनी, राउर राजनीतिक आस्था का ह, राउर जन्म कहाँ भइल बा भा राउर सामाजिक अवस्था कइसन बा एह बात से एकरा कौनो सरोकार नइखे । रउआ अल्पसंख्यक समूह के सदस्य भइला से एह में कौनो फरक ना पड़ेला । राउर अधिकार राउरे ह आ रउआ से एह सब के छिनेके अनुमति कानून ना देवेला । एह पुस्तिका के अन्त में राउआ मानव भइला के कारण रउरा मिलल अधिकार सब के पूर्ण सूची दिहल गइल बा ।

मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा नेपाली में अध्ययन करे खातिर एह वेबसाइट पर जाइल जाय :

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx¿LangID=nep

आउर महत्वपूर्ण दस्तावेजन के अध्ययन खातिर संवैधानिक संवाद केन्द्र के वेबसाइट **http://www.ccd.org.np/en/** पर जाइल जाय ।

(२) नेपाल व्यक्तिगत अधिकार के के तरे लेहले बा ?

नेपाल सन् १९४८ में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा में मतदान ना कइले रहित तबो ई सब मानव के हक में लागु होखेवाला भइला से नेपाली लोग पर भी लागू होखेला । मानव अधिकारन के कानूनी संरक्षण करे खातिर सन् १९६६ में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय नागरिक आ राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय अनुबन्ध के तर्जुमा कइलस् । नेपाल वि. सं. २०४८ में एह अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कइलस्, एह बात पर नेपाली लोग गर्व कर सकेलन । ई एह अधिकारन के बहुत हद तक कानूनी आधार प्रदान कइलस् । बाँकिर सब लोग के मालुम भइल बात ई बा कि कानून में मानव अधिकार के व्यवस्था कइले भर से अधिकार संरक्षित होला ई सुनिश्चित ना हो जाला । लोकतन्त्र खातिर संघर्ष आ माओवादी जनयुद्ध के क्रम में व्यक्तिगत अधिकार के हनन भइला से बहुते जनता कष्ट भोगलस् ।

हाल प्रचलन में रहल नेपाल के अन्तरिम संविधान, २०६३ में ई व्यक्तिगत अधिकार सब संरक्षित बा । एकर अर्थ ई बा कि एह अधिकारन से टकराएवाला भा अधिकार देवे से इनकार करेवाला कानून ना बन सकेला आ राज्य के कौनो अधिकारी - कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी अधिकृत, न्यायाधीश - कौनो नेपाली के उनकर मौलिक मानव अधिकार देवे से गैरकानूनी रूप में अस्वीकार ना कर सकेलन । बाँकिर अभीनो अइसन अधिकार सब के रक्षा करे में सरकार प्राय: असफल रहल बा आ बहुतो नेपालियन के अधिकार प्रत्येक दिन हनन हो रहल बा । एह

पुस्तिका में हमनी नया संविधान नेपाली जनता के अधिकार सब के पहचान मात्र ना कके नया नेपाल में एह सब के सक्रिय रूप में कइसे संरक्षण कर सकेला एही विषय में कुछ बतावेके प्रयास करेम ।

३) अल्पसंख्यक के अधिकार के विषय में विशेष बात का ह ?

आधारभूत अधिकार : यदि रउआ अल्पसंख्यक समूह के सदस्य हईं त (आ हमनी एह विषय में एह पुस्तिका में बाद में चर्चा करेम) रउआ लगे दू प्रकार के अधिकार रहल बा । प्रथमतः रउआ लगे, जइसे आउर लोग के मिलल बा, आधारभूत अधिकार सब प्राप्त बा आ एह में राउर अल्पसंख्यक अवस्था के कारण रउआ लगे रउआ से केहु भेदभाव ना कर सके इहो अधिकार बा । अन्तरराष्ट्रीय अभ्यासन के अनुरूप नेपाल के संविधान राउर अल्पसंख्यक अवस्था के कारण रउआ विरुद्ध विभेद करेवाला कानून सब अमान्य होखेके बात सुनिश्चित कइले बा ।

सकारात्मक अधिकार : बाँकिर नेपाल एह से आगे बढ़ चुकल बा । सन १९७१ जनवरी में नेपाल आउर राष्ट्रन के साथे सब प्रकार के जातीय भेदभाव उन्मूलन करेवाला महासन्धि में सहभागी भइल । एह कानून के तहत नेपाल अल्पसंख्यकन के विरुद्ध भेदभाव ना करेके आपन प्रतिबद्धता से आगे बढ़ गइल बा । ई जाति भा वर्ण भा वंश भा राष्ट्रीयता भा जातीय उद्गम के आधार पर होखेवाला सब प्रकार के भेदभाव के भर्त्सना करेला । ई नेपाल में एह प्रकार के सब भेदभाव के अन्त करे खातिर सकारात्मक कदम उठावेके बात पर सहमति जनवले बा ।

नेपाल के अन्तरिम संविधान ऐतिहासिक रूप में ही बहुते जनता नानिमन ढंग से विभेद में पड़ल बात के स्वीकार कइले बा । दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, पछुआइल आ अल्पसंख्यक समुदायन के समस्यन के सम्बोधन करे खातिर समग्र राज्य के पुनः संरचना करेके प्रतिबद्धता अन्तरिम संविधान व्यक्त कइले बा । ई वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक आ धार्मिक आधार पर होखेवाला भेदभाव के अन्त करत सीमान्तीकृत समुदायन के उत्थान खातिर विशेष उपाय सब अवलम्बन कइल जाएके कहले बा ।

हमनी आउर अन्तरराष्ट्रीय कानून सब आ मापदण्ड सब के भी उल्लेख कर सकतानी, जे निश्चित समूह के जनता के विरुद्ध भेदभाव करेके कार्य के रोकेला । संयुक्त राष्ट्र संघ अल्पसंख्यकन के अधिकार के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण मापदण्ड सब ग्रहण कइले बा । नागरिक आ राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय अनुबन्ध (१९९६), आर्थिक, सामाजिक आ

सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय अनुबन्ध (१९९६) आ सब प्रकार के जातीय भेदभाव के अन्त सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय अनुबन्ध (१९९६) एह सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड के केन्द्रीय निकाय के निर्माण करेला । अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के आदिवासी आ जनजाति सम्बन्धी अनुबन्ध (१९८९, नम्बर १६९) आ सन २००७ में महासभा द्वारा पारित आदिवासी जनजाति के अधिकार के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा में आदिवासी जनजाति के सरोकार के महत्वपूर्ण मापदण्ड सब (ओह लोग के अल्पसंख्यक के अवस्था के बावजूद) उल्लेख भइल बा आ एह शृंखला में आउर जगे व्याख्या भइल बा ।

समूह के अधिकार : बाँकिर कानून द्वारा अल्पसंख्यक के अधिकार प्राप्त करेवाला सदस्यन के कब्बो कब्बो समूह के रूप में अभ्यास करे खातिर विशिष्ट निकाय के अधिकार प्रदान करेके बात अल्पसंख्यक के अधिकार के सम्बन्ध में विशेष बात होला आ ओह लोग के ई सामूहिक अधिकार के अभ्यास खातिर राज्य द्वारा विशेष उपाय अवलम्बन कइल आवश्यक हो जाला । अन्तरराष्ट्रीय कानून कहेला :

"जातीय, धार्मिक, अल्पसंख्यक लोग रहल राज्यन में ओइसन अल्पसंख्यक समूह में पड़ेवाला लोग के ओह लोग के समुदाय के आउर सदस्यन का संगे ओह लोग के आपन संस्कृति अवलम्बन करे से, आपन धर्म माने से आ अभ्यास करे से भा आपन भाषा के प्रयोग करे से बंचित ना कइल जाई ।"

(४) नेपाल में केकरा संरक्षण चाहीं ?

नेपाल में हिन्दू धार्मिक बहुसंख्यक बाड़न बाँकिर उहो लोग जात, जातीयता आ भाषिक आधार पर विभाजित बाड़न । एह धार्मिक बहुसंख्या के अलावा संख्यात्मक रूप में बहुसंख्यक रहल एकोगो समूह नइखे । नेपाल में आदिवासी, जनजाति, कथित नीचला जात के समूह, महिला आ प्रभुत्व में रहल धर्म में ना पड़ेवाला लोग के विरुद्ध भेदभाव के लम्बा परम्परा रहत आइल बा । लम्बा समय से ई कानूनी रूप में मान्य आ सरकार द्वारा कार्यान्वयन में लेआवल गइल रहे । २०५८ के राष्ट्रीय जनगणना १०० गो अल्पसंख्यक समूह रहल देखइले बा ।

आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक : २०५८ के राष्ट्रीय जनगणना अनुसार आदिवासी लोग (आदिवासी आ जनजाति के रूप में पहचानल) नेपाल के कुल जनसंख्या के करीब ३६ प्रतिशत रहल बा । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ लागू कके नेपाल ५९ गो जाति के आदिवासी जनजाति समुदाय के रूप में पहचान कके ओह लोग के मान्यता देहले बा । एह कानून अनुसार "आदिवासी जनजाति के मतलब अपने मातृभाषा आ

परम्परागत रीतिरिवाज, अलगे सांस्कृतिक पहचान, अलगे सामाजिक संरचना आ लिखित भा मौखिक इतिहास भइल जातीय समूह भा समुदाय" आदिवासी जनजाति ह । ओह लोग में से चार गो (मगर, थारू, तामाङ, नेवार) के १० लाख से ३० लाख ६० हजार के बीच में आ पाँच गो के एक लाख से दस लाख के बीच में जनसंख्या बा त बहुतन के एको हजार से कम सदस्य बा । ७५ जिला में से ३० गो में आदिवासी जनजाति समूह ५० प्रतिशत से उपर बा । बाँकिर पाल्पा (मगर), रसुवा (तामाङ), भक्तपुर (नेवार) आ मनाङ (गुरुङ) मात्र एगो आदिवासी जनजाति समूह के बहुमतवाला जिला सब बा ।

भाषिक अल्पसंख्यक : नेपाल में बोलल जाएवाला ९२ गो भाषा बा । सामान्यतया खस (नेपाली) के अलावा समूचा भाषा सब अल्पसंख्यक के भाषा मानल जाला । २०५८ के राष्ट्रीय जनगणना में कुल जनसंख्या के आधा से तनिके कम लोग नेपाली भाषा के प्राथमिकता के भाषा के रूप में चुनले बा । आउर बड़का भाषिक समूहन में मैथिली (१२.३०%), भोजपुरी (७.५३%), अवधी (२.४७%), उर्दू (०.७७%) आ हिन्दी (०.४७%) थारू (५.८६%), तामाङ (५.१९%), मगर (३.६३%), नेवार (३.३६%), गुरुङ (१.४९%) आ लिम्बू (१.४७%) बा । बाँकी में आउर के उपस्थिति ६.८२% रहल बा ।

धार्मिक अल्पसंख्यक : २०६३ में अन्तरिम संविधान द्वारा धर्म निरपेक्ष घोषणा ना भइला तक नेपाल हिन्दू राज्य रहे । २०५८ साल के जनगणना नेपाल के जनसंख्या के ६ गो श्रेणी में रखले बा । हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किराँत आ अन्य । हिन्दू (८०.६२%) आ एकरा बाद बौद्ध (१०.४७% मुस्ताङ्ग, मनाङ आ रसुवा में बहुसंख्यक) मुस्लिम (४.२%) किराँत (३.६% पाँचथर में बहुसंख्यक), क्रिश्चियन (०.४५%) आ अन्य (सिख, बहाई, बोन, शमानिका आ प्रकृति पूजक ०.४५%) बा लोग ।

दलित : १९ वाँ शताब्दी के मध्य से २०४७ में औपचारिक रूप में जातीय विभेद के खारिजी ना भइला तक जाति प्रथा कानूनी रूप में परिभाषित संरचना के रूप में रहत आइल । नेपाल के दलित लोग अइसन समुदाय ह जे सब से ज्यादा जातीय विभेद आ हिन्दू जातीय पद्धति में अछूत के रूप में भी दुर्व्यवहार के सामना कर रहल बा । राष्ट्रीय दलित आयोग दू दर्जन जाति के दलित समूह के रूप में सूचीबद्ध कइले बा । २०५८ में नेपाल के कुल जनसंख्या के १२.९ प्रतिशत दलित रहे बाँकिर कौनो एकोगो जिला में ओह लोग के बहुमत नइखे । दलित लोग अपने सामाजिक आ जातीय समूह में विभाजित बा आ दलित लोग के विभिन्न समूहन के बीच अपनेआप में भेदभावपूर्ण अभ्यास विद्यमान बा ।

महिला : महिला अल्पसंख्यक नाहिओ भइला पर (महिला कुल जनसंख्या के ५० प्रतिशत से बेसी बा) ऊ लोग नेपाल में परम्परागत रूप में भेदभाव में परत आइल बा । महिला कानून के जरिए (पैतृक सम्पत्ति के प्राप्ति, विदेशी पति के नागरिकता प्रदान करे में सीमा) प्रथा आ

सामाजिक अभ्यास के तहत विभेद में परल बा । महिला लोग पुरुष के तुलना में अशिक्षित, गरीब आ उच्च मृत्यु दर के चपेट में बा । एह बात के विचार करत बेर महिला लोग ऐतिहासिक रूप में सीमान्तीकृत भइल महशुस होला । ओहीसुके महिला अधिकार के कानून के तहत विशेष संरक्षण कइल आवश्यक बा ।

(५) अल्पसंख्यक के अधिकार के सम्बन्ध में संविधान सभा का लगे रहल विकल्प सब का-का बा ?

संविधान सभा के सामाजिक समावेशिता में प्रतिबद्ध, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक आ संघीय नेपाल सृजना करेवाला संविधान के मस्यौदा तैयार करेके कार्याधिकार देहल गइल बा । ई संविधान सभा के दस्तावेज से उपर उठके नेपाल के सब धर्म, भाषिक समुदाय आ महिला वर्ग में समान रूप से व्यवहार करत ओह लोग के समान पहचान स्थापित कके राष्ट्रीय जीवन के सब पक्ष में अवसर प्रदान करेवाला बात सुनिश्चित करेवाला संघ-संस्था आ संयन्त्र सब के स्थापना करेके अवसर प्रदान करी । संविधान के तहत समान संरक्षण सुनिश्चित करे खातिर कइयनो उपायन के अवलम्बन कइल जा सकेला ।

१) **संघीयता :** संघीयता के एगो उद्देश्य एकेगो राष्ट्र स्थापना कके धार्मिक, भाषिक, जातीय/जनजाति आ आदिवासी समुदायन के देश के शासन व्यवस्था में सहभागी करा सकेके हिसाब से राज्य आ प्रान्त के सृजना कइल ह । संघीयता के तहत प्रान्त भा राज्यन के आपन कार्यकारिणी, विधायिकी आ न्यायिक प्रणाली स्थापना करेके अधिकार प्राप्त हो सकेला आ एकरा बाद आपन जनता के चाहना आ अधिकार के संरक्षण करे खातिर ई एकाई सब सक्रिय हो सकेला । प्रान्त भा राज्य के ई एकाई सब सभी नागरिक लोग - महिला आ पुरुष, जात-जाति आ जनजाति समूह सब - के सरकार में सहभागिता खातिर अवसरो प्रदान करेला । संघीयता आ स्वायत्तता के व्यवस्थापन से नेपाल के विविधता के पहचानल गइल बा, एह बात के सुनिश्चित करेके अवसर के सिर्जना करेला । बाँकिर भेदभाव ना होई, एह बात के सुनिश्चितता खातिर कानूनी आ प्रशासनिक संयन्त्रन के स्थापना कइल जाएके चाहीं ।

२) **निर्वाचन प्रणाली :** संविधान सभा अल्पसंख्यक समूहन के ओह लोग के जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेवाला निर्वाचन प्रणाली के बारे में विचार कर सकेला । समानुपातिक प्रतिनिधित्व अइसन निर्वाचन प्रणाली ह, जौन अल्पसंख्यक के हित के संरक्षण करेके पहल करेला । निर्वाचन प्रणाली के अलावा राष्ट्रीय आ प्रान्तीय भा राज्य के विधायिका सब ओतहाँ के सरकारन में अल्पसंख्यक समूहन के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे खातिर सीट प्रदान करेके विषय में विचार कर सकेला ।

३) **संवैधानिक प्रावधान :** मौलिक अधिकार के भाग में समावेश भइल मानव अधिकार आ अल्पसंख्यक अधिकार के सबल प्रावधान सब अल्पसंख्यकन के व्यक्तिगत आ सामूहिक अधिकार सदैव संरक्षित रही, एह बात के प्रत्याभूति करी । बाँकिर ई प्रतिबद्धता सब व्यवहार में कार्यान्वयन भइल बात के सुनिश्चित करे खातिर कानूनी प्रावधान के साथ-साथ राष्ट्रीय आ स्थानीय तह में मानव/अल्पसंख्यक अधिकार आयोग जइसन निकाय सब होखेके चाहीं । सकारात्मक पहल के प्रतिबद्धता विपन्न अल्पसंख्यक समूहन के उत्थान खातिर अवसर होई, एह बात के प्रत्याभूति करेला ।

एकरा अलावा राज्य के नीति आ निर्देशक सिद्धान्त के भाग में अल्पसंख्यक के अधिकार के पहचान आ ओह लोग के उत्थान के प्रतिबद्धता राज्य के विभिन्न क्षेत्रगत नीतियन में, जइसन कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी में राज्य अल्पसंख्यकन के का देवेला एह बात के सूचक सब निश्चित करी । ओहीसुके संविधान निर्माण के प्रक्रिया अल्पसंख्यक लोग के अधिकार के सम्बन्ध में बोलेके आ आपन बात कहेके अवसर के सिर्जना करेला । ई अल्पसंख्यकन के संरक्षण आ उत्थान खातिर संरचना तयार करेके आपन उत्तरदायित्व पूरा करे खातिर राज्य के भी अवसर प्रदान करेला ।

(६) मानव अधिकार के विश्वव्यापी घोषणा में पहचान भइल व्यक्तिगत अधिकार सब कथी-कथी बा ?

नागरिक आ राजनीतिक अधिकार

धारा ३	प्रत्येक व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन, स्वतन्त्रता आ सुरक्षा के अधिकार
धारा ४	दासत्व भा बन्हुआ प्रथा से मुक्ति
धारा ५	यातना आ क्रूर, अमानवीय भा अपमानजनक व्यवहार भा दण्ड से मुक्ति
धारा ६	कानून के दृष्टि में व्यक्ति के रूप में मान्यता पावेके अधिकार
धारा ७	कानून के तहत समान संरक्षण के अधिकार
धारा ८	प्रभावकारी न्यायिक उपचार के अधिकार
धारा ९	मनपर्दी गिरफ्तारी, हिरासत भा देशनिकाला से मुक्ति
धारा १०	स्वतन्त्र आ निष्पक्ष न्यायाधिकरण से निष्पक्ष आ खुला सुनवाई के अधिकार
धारा ११	दोषी ना ठहरला तक निर्दोष मानल जाएके अधिकार
धारा १२	गोप्यता, परिवार, घर भा पत्राचार के प्रति स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप से मुक्ति
धारा १३	आवागमन आ बसोबास के स्वतन्त्रता
धारा १४	शरण मांगेके अधिकार
धारा १५	राष्ट्रीयता सम्बन्धी अधिकार
धारा १६	बिआह करेके आ परिवार बसावेके अधिकार

धारा १७ सम्पत्ति राखेके अधिकार
धारा १८ वैचारिक, अन्तरविवेकीय आ धार्मिक स्वतन्त्रता
धारा १९ विचार आ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
धारा २० शान्तिपूर्वक एकट्ठा होखेके आ संस्था खोलेके अधिकार
धारा २१ आपन देश के सरकार में सहभागी होखेके आ सरकारी सेवा में समान पहुँच प्राप्त करेके अधिकार

आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार

धारा २२ सामाजिक सुरक्षा के अधिकार
धारा २३ काम करेके अधिकार आ समान काम खातिर समान मेहनताना के अधिकार
धारा २४ विश्राम आ फुर्सत के अधिकार
धारा २५ स्वास्थ्य आ कल्याण खातिर पर्याप्त स्तरयुक्त जीवनयापन के अधिकार
धारा २६ शिक्षा के अधिकार
धारा २७ समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में सहभागी होखेके अधिकार

विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा ३६० गो भाषा (नेपाली सहित) में पढ़े खातिर वेबसाइट **http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx** देखल जाय ।

जातीय भा जनजातिगत, धार्मिक आ भाषिक अल्पसङ्ख्यकन खातिर घोषणापत्र में सुनिश्चित भइल अधिकार

धारा २.१ : आपन संस्कृति माने पावेके, आपन धर्म अवलम्बन करे पावेके भा आपन भाषा के प्रयोग करे पावेके अधिकार
धारा २.२ : सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आ सार्वजनिक जीवन में सहभागिता के अधिकार
धारा २.३ : आपन समूह के सम्बन्ध में होखेवाला राष्ट्रीय आ स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होखेके अधिकार
धारा २.४ : संगठित होखेके अधिकार
धारा २.५ : आपन समूह के सदस्यन का संगे आ आउर अल्पसङ्ख्यक समूह के लोग से सम्बन्ध आ सम्पर्क बनवले रहेके अधिकार
धारा ३ : बिना भेदभाव अधिकार के अभ्यास करेके स्वतन्त्रता

घोषणापत्र पढ़े खातिर कृपया **http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm** देखल जाय ।

पुस्तिका-श्रृंखला के सम्बन्ध में

संविधान सभा के सदस्य लोग आ इच्छुक सर्वसाधारण के संविधान निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी करावले एह पुस्तिका-शृङ्खला के उद्देश्य ह । एह प्रकाशन सब के संवैधानिक परिणाम के बारे में कौनो किसिम से पूर्व अनुमान करेवाला अवधारणपत्र भा प्रस्ताव भा मनसाय नइखे । ई शृङ्खला संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के 'नेपाल में सहभागितामूलक संविधान निर्माण खातिर सहयोग (एसपीसीबीएन) परियोजना' के समन्वय में नेपाली आ अन्तरराष्ट्रिय संविधानविद् लोग के सामूहिक प्रयास के प्रतिफल ह ।

एह पुस्तिका सब के आउर परिस्कृत बनावे वास्ते प्रतिक्रिया आ टिप्पणी खातिर विशेष अनुरोध कइल जा रहल बा । बेसी से बेसी सुसूचित, प्रतिवद्ध आ रचनात्मक बतकही के प्रोत्साहित करे में एह प्रकाशन सब के सफल भइले पर अपेक्षित उद्देश्य हासिल हो सकेला । प्राप्त टिप्पणी सब के आधार पर एह पुस्तिका सब के नया आ अतिरिक्त संस्करण तइयार कइल जा सकेला ।

एह शृङ्खला के नेपाल के कुछ प्रमुख राष्ट्रभाषा में अनुवाद करेके क्रम में उच्च गुणस्तर कायम राखत सम्बन्धित भाषा के बहुसंख्यक मातृभाषी लोगन के समझ में आवेवाला सही शब्दावली के प्रयोग करेके पूरा प्रयास कइल गइल बा । शब्दावली के उपयुक्त आ सही प्रयोग के बारे में विभिन्न भाषिक समुदायन के बीच में भविष्य मे बतकही आ बहस होएके अपेक्षा कइल जा सकेला । संवैधानिक संवाद केन्द्र के उद्देश्य अइसन बहस के कौनो प्रकार से ओझल कइल ना होके ओह भाषा सब के भी समावेश कके एह प्रयास मे समावेशीकरण आ पहुँच के अधिकतम वृद्धि कइल ह ।

ई पुस्तिका देश में संविधान निर्माण से सान्दर्भिक विषयवस्तु के सम्बन्ध में संवैधानिक संवाद केन्द्रद्वारा तइयार कइल जा रहल शृङ्खलावद्ध पाठ्यसामग्रियन के एगो अंश ह ।

सभासद लोग के साथे एह विषयवस्तु से मतलब राखेवाला सर्वसाधारण लोग के प्रमुख संवैधानिक अवधारणा आ मुद्दा सब में सरिक करावल एह शृङ्खलावद्ध प्रकाशन के उद्देश्य ह । शृखला अन्तर्गत के हर पुस्तिका नेपाल मे बोलल जाएवाला प्रमुख भाषा सब (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, मगर, तामाङ, नेवार) आ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध बा। एह पाठ्यसामग्रियन के श्रव्य संस्करण (कैसेट, सिडी) भी उपलव्ध भइला के अलावा एह सब सामग्रियन के ऑनलाइन पर भी राखल गइल बा ।

पहिल चरण में एह प्रकाशन शृङ्खला में समीटल जाएवाला विषयवस्तु एह प्रकार बा : राज्य आ धर्म, संघीय प्रणाली, संविधान में मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति के अधिकार, अल्पसंख्यक लोग के अधिकार, सरकार के प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण आ सहभागीतामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तीसरा आ चौथा तला, अल्फा बेटा कम्प्लेक्स, बुद्धनगर, काठमाडौ
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : **info@ccd.org.np**
वेबसाइट : **www.ccd.org.np**